फर्द अहकाम
कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री सवा | **विपक्षी : पटवारी**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 29/21**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 13.08.2021 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी व राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई विशेष आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी व राजपेरोकार की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री सवा का पेश किया। वादी द्वारा राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम रूपा पिता फता मेघवाल गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से पुनः नाम सही कराने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत सालेराकलां द्वारा पत्र क्रमांक 13 दिनांक 07.01.21 से जारी प्रमाण पत्र, बैंक खाता पास बुक की नकल, जन आधार कार्ड की नकल, भामाशाह कार्ड की नकल, मतदाता पहचान पत्र की नकल, राशन कार्ड की नकल, जॉब कार्ड की नकल प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में रूपा पिता फता मेघवाल दर्ज हैं, जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत अपने समस्त दस्तावेजात में नाम सवा पिता फता मेघवाल अंकित है। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी सवा पिता फता मेघवाल व रूपा पिता फता मेघवाल दोनो नाम का एक ही व्यक्ति होकर इस नाम का गांव में कोई दूसरा पुरूष नहीं होना बताया हैं। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में वादी का सही नाम रूपा पिता फता मेघवाल होना जाहिर आया हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सालेराकलां पटवार हल्का सालेराकलां की आराजी नम्बर 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1131, 1133, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140 किता 21 रकबा 4.1116 हेक्टेयर भूमि में खातेदार रूपा पिता फता मेघवाल के बजाय सवा उर्फ रूपा पिता फता मेघवाल संशोधन किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Mayank Manish Date: 2021.09.15 12:48:44 IST Reason: SelfAttested (मयंक मनीष) I.A.S. सहायक कलक्टर (SDO)मावली	

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री सवा उर्फ रूपा पिता फता मेघवाल निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।

..................वादी

बनाम

1. पटवारी, पटवार हल्का सालेराकलां तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 29/21 (वाद) GCMS No. – 2021/57

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा सालेराकलां पटवार हल्का सालेराकलां की आराजी नम्बर 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1131, 1133, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140 किता 21 रकबा 4.1116 हेक्टेयर भूमि में खातेदार रूपा पिता फता मेघवाल के बजाय सवा उर्फ रूपा पिता फता मेघवाल संशोधन किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.08.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.09.15 12:18:44 IST
Reason: SelfAttested